भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

.....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1050
(3 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत कौशल विकास और ग्रामीण स्वच्छता

1050. श्री पीयूष गोयल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कौशल विकास और ग्रामीण स्वच्छता के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की निधियों का उपयोग करने का विचार रखती है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) से (ग): जी, हाँ । एसजीएसवाई/एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए नियोजन संबद्ध कौशल विकास घटक के अंतर्गत मनरेगा के उन लाभार्थियों को प्राथमिकता देने के लिए प्रावधान किया गया है जिन्होंने निजी/गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी से अल्पकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 100 दिनों का मजदूरी रोजगार पूरा किया है और जिससे संगठित/अर्द्ध संगठित उद्यमों में सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्रों में उन्हें रोजगार मिला है । समय-समय पर यथा संशोधित मनरेगा की अनुसूची-1 में उन कार्यों की श्रेणी का उल्लेख है जिन पर एमएनआरईजी अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाई योजनायों के अंतर्गत ध्यान केन्द्रित किया जाएगा । बड़ी संख्या में अतिरिक्त क्रियाकलापों को शामिल करने के लिए दिनांक 4.5.2012 की अधिसूचना के माध्यम से अनुसूची-1 में व्यापक विस्तार किया गया है । ग्रामीण स्वच्छता संबंधित कार्य यथा - वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय, विद्यालय शौचालय, आंगनबाड़ी शौचालय, ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन को एमएनआरईजी अधिनियम की अनुसूची-1 के अंतर्गत अनुमेय क्रियाकलापों के रूप में शामिल किया गया है ।

*****